



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



पंचदीप भवन, सी० आई० जी० मार्ग, नई दिल्ली  
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-02  
Website : www.esic.nic.in

पत्रांक: ए-28016/2/2024-ई.3

दिनांक: 05.07.2024

**कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM**

विषय: आवास किराया भत्ता की संशोधित दरों के संबंध में।

**Subject: Revision in rates of House Rent Allowance - reg.**

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-स्था.2(बी) दिनांक 07.07.2017, के परिपेक्ष्य में जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-27/17/1/सातवां वेतन आयोग/5/2017-स्था3 दिनांक 11.07.2017 द्वारा परिचालित किया गया था तथा दिनांक 01.01.2024 से महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने के तदनुसार, सक्षम अधिकारी ने आवास किराया भत्ता की निम्नलिखित संशोधित दरों को दिनांक 01.01.2024 से लागू करने की अनुमति प्रदान की है।

In pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure, Government of India, Office Memorandum no. 2/5/2017-E. II(B) dated 07.07.2017, circulated by ESIC vide its Office Memorandum No. A27/17/1/7thCPC/5/2017-E.III dated 11.07.2017 and consequent upon the revision of Dearness Allowance to 50% w.e.f. 01.01.2024, the Competent Authority has approved to revise the rates of HRA w.e.f. 01.01.2024 in ESIC as follows: -

शहर/कस्बों का वर्गीकरण Classification of Cities / Towns	आवास किराया भत्ता की मासिक दर/ Rate of House Rent Allowance per month
एक्स / X	30%
वाई / Y	20%
जेड / Z	10%

Signed by Rudradeep Dutta  
उप निदेशक/DEPUTY DIRECTOR  
Date: 05-07-2024 17:00:46

प्रतिलिपि:-

**Copy to: -**

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त / मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव/ PPS to DG/FC/CVO.
2. सभी बीमा आयुक्त / चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव/ PPS to All ICs/MCs.
3. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त / चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव / PPS to All Zonal ICs/MCs for information
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / उप निदेशक, प्रभारी/एनटीए All RDs/DD, I/cs of Regional Offices/Sub-Regional Office /NTA.
5. सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा संस्थान के डीन / सभी क.रा.बी. निगम अस्पताल / आदर्श अस्पताल/ All Deans of ESIC Medical Colleges & All MSs of ESIC Hospitals/Model Hospitals.
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / चिकित्सा संस्थान / अस्पताल / माडल अस्पताल के संयुक्त निदेशक (वित्त) / उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त) /D(F)/DD(F)/AD(F) of all ROs/SROs/Medical Colleges/Hospitals/Model Hospitals.
7. उप निदेशक (रोकड़) / सहायक निदेशक (रोकड़) को इस आशय के साथ की भुगतान पूर्व संलग्न वचन पत्र कर्मचारी से सुनिश्चित कर ले। DD(Cash)/AD(Cash) of all ROs/SROs/Medical Colleges/ Hospitals/Model Hospitals/ Hqrs Office/NTA with request to ensure undertaking from individual as annexed before payment.
8. उप निदेशक (स्था-1) / उप निदेशक (स्था.5), मुख्यालय/DD(E-I)/DD(E-V), Hqrs. Office.
9. निदेशक / उप निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा-3 तथा 4), मुख्यालय . Director(F)/DD(F) of Fin. & A/cs.-3 & 4, Hqrs. Office.
10. वेब कंटेंट मैनेजर, मुख्यालय कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि यह कार्यालय ज्ञापन एसिक वेबसाइट पर अपलोड करें. WCM, ESIC, Hqrs. with the request to upload the OM on ESIC website.
11. सूचना एवं संचार विभाग, मुख्यालय कार्यालय को ईआरपी में आवश्यक बदलाव करने के अनुरोध के साथ ICT Division, Hqrs. Office with request to make necessary changes in ERP.

XXX